जनपद–गाजीपुर, उ0प्र0
प्रेसनोट 46, दिनाकं 09.09.2019

गाजीपुर पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर ब्लैकमेल करने व रंगदारी मांगने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह की सरगना महिला सहित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. अजय सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम हंसराजपुर थाना शादियाबाद गाजीपुर।
2. अमन तिवारी पुत्र विरेन्द्र तिवारी नि0 ग्राम हंसराजपुर थाना शादियाबाद गाजीपुर।
3. आदित्य कुमार पता अज्ञात।
4. 02 अन्य महिला

बरामदगी का विवरणः–

1. 01 अदद स्वीफ्ट डिजायर बिना नम्बर।
2. 01 अदद वैगनार यू0पी0 14 एएस 9597
3. फर्जी पत्रकार की आई0डी0, 03 मोबाइल, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड।

गिरफ्तारी का दिनांक,स्थान,समयः–

अभियुक्तों को थाना जंगीपुर के देवकठिया पुल से दिनांक 08.09.2019 को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 08.09.2019 को थाना जंगीपुर पर एक व्यक्ति मणिनाथ गुप्ता पुत्र रामनरायण गुप्ता नि0 अरसदपुर ने आकर सूचना दी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा मिलकर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है तथा रंगदारी मांगी जा रही है, जिसकी सरगना एक महिला है। इस सूचना पर वादी के तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 108/2019 धारा 386,420,506,467,468,471 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।
मुकदमे के अनावरण हेतु थाना प्रभारी जंगीपुर द्वारा योजना बनाकर वादी द्वारा पैसा देने के बहाने अभियुक्तों को बुलाने के लिए बताया गया। वादी द्वारा बताया गया कि देवकठिया पुल पर बुलाया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक जंगीपुर मय हमराह व वादी को लेकर देवकठिया पुल पर पहुच कर पुल के पास छिप कर इन्तजार करने लगे। कुछ देर बाद पुल पर 03 चारपहिया वाहन आ कर रूके। वादी द्वारा पहचान कर पुलिस को इशारा किया गया जिसपर पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखते हुए सभी वाहनो को घेर लिया गया। पुलिस द्वारा तलाशी लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के पास से आधार कार्ड पैन कार्ड व पत्रकार होने की आई0डी0 बरामद किया गया। जिसकी तफ्तीश की गयी तो पत्रकार वाली आई0डी0 फर्जी पायी गयी।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ में गिरोह की सरगना महिला द्वारा बताया गया कि हम लोगो का एक गिरोह है, जिसमें मिलकर हम लोग लोगों को ब्लैकमेल करने व रंगदारी मागने का काम करते है। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वादी के साथ भी हम लोगो ने प्लान बनाकर पहले 01 महिला को दवा लेने के बहाने भेजा गया जिस पर महिला द्वारा जाकर वादी के पास बैठकर बात करने लगी। तब हम लोगों द्वारा पहुच कर फोटो ले लिया गया तथा अपने को पत्रकार होने की बात बताकर फोटो को न्यूज चैनलों पर चलाने की बात कहकर धमकी देने लगें। फोटो को न्यूज चैनलों पर न चलाने के लिए हमलोगो द्वारा वादी से 02, लाख रू0 की माग की गयी थी।

गिरफ्तार करने वाली टीमः–

1. श्री जयचन्द भारती प्रभारी निरीक्षक जंगीपुर गाजीपुर।
2. उ0नि0 कृष्ण प्रताप सिंह थाना जंगीपुर गाजीपुर।
3. उ0नि0 ममता थानाध्यक्ष महिला थाना।
4. का0 सत्येन्द्र गौड़, का0 चंचल कुमार का0 महेन्द्र सिंह थाना जंगीपुर।
5. म0आ0 आरती महिला थाना गाजीपुर।